

प्रेषक,

डी०के० कोटिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून दिनांक: 24 अगस्त, 2007

विषय:- बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीयकरण के फलस्वरूप ग्रेच्युटी, बीना आदि के सम्बंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/बेसिक-2/15847/2007-08 दिनांक 29 जून, 2007 के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को अधिसूचना दिनांक 22.4.2006 से राजकीय कर्मचारी घोषित किया जा चुका है। राज्य कर्मचारियों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु नीतिगत निर्णय लिये जाने के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 को संशोधित करने के बाद अधिवर्षिता की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। शासन द्वारा पूर्व में यह भी नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है कि मूल नियम-56 में परिवर्तन के बाद विकल्प या बिना विकल्प के 60 वर्ष की आयु तक जिन प्रकरणों में ग्रेच्युटी अनुमन्य है, देय होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों की बेसिक शिक्षा परिषद में रहते हुये भी पेंशन की गणना उसी प्रकार की जाती थी जिस प्रकार राजकीय कर्मचारियों की पेंशन गणना की जाती है। अब चूंकि मूल नियम-56 के प्राविधानों को संशोधित कर अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष कर दी गयी है एवं 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की अनुमन्यता भी कर दी गयी है, ऐसी स्थिति में अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति बेसिक शिक्षा परिषद के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को भी यह सुविधा देय होगी, अर्थात् बेसिक शिक्षा परिषदीय सेवा का दिनांक 22.4.2006 से राजकीयकरण होने की तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिये ग्रेच्युटी की अनुमन्यता हेतु उनकी बेसिक शिक्षा परिषद की दिनांक 21.4.2006 तक की सेवायें तथा दिनांक 22.4.2006 से राजकीय सेवा में की गई सेवा की, दोनों अवधियों को जोड़ करके गणना करके राज्य सरकार के कर्मियों को 33 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य साढ़े पन्द्रह (16½) माह के वेतन को आगणित करके अधिकतम रु० 3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार) की दर से ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी। राजकीयकरण

के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी की देयता नहीं होगी, क्योंकि उनकी सेवा शर्तें भिन्न थी।

2. जिस तिथि से बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों का राजकीयकरण किया गया है उसी तिथि से विधि अनुरूप वे राज्य कर्मचारी हो गये हैं, अतः पूर्व से राजकीय विद्यालयों एवं सरकारी कर्मचारियों हेतु शासनादेश संख्या 16/XXVII(7)/सा0बीमा/2005 दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 के द्वारा लागू सामूहिक बीमा योजना उन पर स्वतः ही लागू हो जायेगी। दिनांक 22.4.2006 से पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी के रूप में बीमा की धनराशि में यदि कोई बचत निधि का अंश हो तब जीवन बीमा निगम को प्राप्त कराया गया बचत निधि का अभिदान जीवन बीमा निगम से प्राप्त कर संबंधित कर्मचारियों को भुगतान कराया जाय। दिनांक 22.4.2006 से सामूहिक बीमा का अभिदान राजकोष में मुख्य लेखा शीर्षक "8011-राज्य कर्मचारियों हेतु सामूहिक बीमा" एवं पेंशन संबंधी अदायगी के अधीन ही जमा किया जाना नियमानुकूल होगा, क्योंकि राजकीय कर्मचारियों हेतु सामूहिक बीमे का रख-रखाव महोलखाकार स्तर पर किया जाता है तथा राजकीय कर्मचारियों के वेतन से मासिक अभिदान की कटौती तथा बीमा आच्छादन की धनराशि के साथ-साथ बचत निधि के भी स्पष्ट प्राविधान हैं ऐसी स्थिति में 22.4.2006 के बाद उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 24.10.2005 की व्यवस्थानुसार राजकीय कर्मचारियों की भौति निम्नानुसार कटौती की जायेगी :-

क.सं.	वेतनमान का अधिकतम	मासिक अभिदान (रूपये में)	बीमा आच्छादन की धनराशि (रूपये में)
1.	रु0 6999 से तक	30/-	30,000/-
2.	रु0 7000 से 13500 तक	60/-	60,000/-
3.	रु0 13501 या इससे अधिक	120/-	1,20,000/-

3- बीमा के विषय में बेसिक शिक्षा परिषद हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत पूर्व शासनादेश दिनांक 22.4.2006 से ही निरस्त समझा जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या-316/XXVII(7)/2007 दिनांक 10 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0के0 कोटिया)
सचिव।

सं0-409(1)/XXIV(1)/2007-26/06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निर्देशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।

3. निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, मयूर विहार, देहरादून।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक/माध्यमिक) उत्तराखण्ड।
7. वित्त (बे०आ०-सा०बि०) अनुभाग-7/ वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-3
8. एन०आई०सी० उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।